4. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रश्नगत वादपत्र के सम्मन की प्रमाणित प्रतियां के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी संख्या 01 विध्यादेवी पुत्री चर्तुभूज, प्रार्थी संख्या 02 पांचीदेवी पुत्री चर्तुभूज, प्रार्थी संख्या 03 सीता देवी पुत्री चर्तुभूज, प्रार्थी संख्या 04 लीलादेवी पुत्री चर्तुभूज को ग्राम आगेवा के पते पर जारी सम्मन वादपत्र के प्रतिवादी एवं प्रार्थीगण के भाई मांगीलाल द्वारा के हस्ताक्षर से तामिल किया जाना अंकित है। साथ ही हस्तगत प्रार्थना पत्र के शीर्षक से जाहिर होता है कि उक्त प्रार्थी संख्या 01 विध्यादेवी पुत्री चर्तुभूज हाल निवास स्थान लौटोती तहसील जैतारण, प्रार्थी संख्या 02 पांचीदेवी पुत्री चर्तुभूज हाल निवास स्थान लाम्बिया तहसील जैतारण, प्रार्थी संख्या 03 सीता देवी पुत्री चर्तुभूज हाल निवास स्थान निम्बेडाकलां तहसील रायपुर, प्रार्थी संख्या 04 लीलादेवी पुत्री चर्तुभूज हाल निवास स्थान सालेडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर है। लिहाजा प्रकरण में तामिल उपर्युक्त प्रार्थीगण की व्यक्तिगत रुप उनके हाल निवास स्थान पर होनी चाहिए थी, जो कि नही हुई है। अतः उक्त तामिल को सम्यक रुप से निष्पादित तामिल की श्रेणी में नही माना जा सकता है। तथा समुचित तामिल के अभाव में प्रार्थीगण के विरुद्ध दिनांक 31.07.2024 को किया गया एकपक्षीय कार्यवाही आदेश अपास्त योग्य है। जिसके फलस्वरुप वादपत्र संख्या 255/2019 (152/2017) बअनवान शांति बनाम विध्यादेवी वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.07.2024 को पारित एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रार्थीगण को प्रकरण में अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना विधिसंगत होगा।

–:: आदेश ::–

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 व्यवहार प्रक्रिया संहिता बखुबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। न्यायालय हाजा के राजस्व संख्या 255/2019 (152/2017) बअनवान शांति बनाम विध्यादेवी वगैरह में प्रतिवादी संख्या 01 विध्यादेवी पुत्री चतुर्भूज, प्रतिवादी संख्या 02 पांचीदेवी पुत्री चतुर्भूज, प्रतिवादी संख्या 03 सीतादेवी पुत्री चतुर्भूज एवं प्रतिवादी संख्या 04 लीला देवी पुत्री चतुर्भूज के विरुद्ध दिनांक 26.09.2017 को किया गया एकपक्षीय कार्यवाही आदेश एवं प्रकरण में पारित एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.07.2014 को अपास्त किया जाता है। राजस्व वादपत्र संख्या 255/2019 (152/2017) को पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर लिया जाकर पत्रावली प्रतिवादी जवाबदावा में नियत कि जावे। प्रार्थनापत्र इसी मुताबिक निर्णित होकर बादतकमील संख्या से एक कम हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक **24/03/2026** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)